

(42)

B. Wadurvedi



R-3848 - I76

समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक...../2016

आवेदक- छोटेलाल नागरिया आत्मज नत्थूलाल नागरिया
 निवासी-सिविल लाईन कटनी जिला कटनी म0प्र0
 विरुद्ध

9-11-16
 11-11-16
 राजस्व मण्डल ग्वालियर

अनावेदक- म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

480
9-11-16

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-6-अ/2012-13, में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014 से व्यथित होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक सिविल लाईन कटनी, जिला कटनी म0प्र0का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदक ग्राम धनगवां प0ह0नं0 19/81 रा0नि0मं0 पोंडा तहसील मझौली जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 795/2 रकवा 0.64 हे0 भूमि का भूमिस्वामी मालिक काबिज स्वामी है।
3. यह कि, उक्त भूमि श्री धीरज आत्मज फुल्लू को वर्ष 1980 के पूर्व शासन से पट्टे पर प्रदान की गई थी जिन्हे 10 वर्ष पश्चात् म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 158(3) के अनुसार भूमिस्वामी अधिकार प्रदान हो चुके जिनका नाम बतौर भूमिस्वामी खसरा अभिलेख में दर्ज किया गया तथा भूमिस्वामी अधिकार की ऋण पुस्तिका प्रदान की गई थी।
4. यह कि, श्री धीरज आत्मज फुल्लू द्वारा खसरा नंबर 759/2 रकवा 0.64 हे0 भूमि का विक्रय अभिषेक आत्मज श्री वीरेन्द्रनाथ गुप्ता को विक्रय कर दी गई जिनका नामांतरण कर नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया तथा भूमिस्वामी अधिकार की ऋण पुस्तिका प्रदान की गई थी। खसरा अभिलेख की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी-1 है।
5. यह कि, अभिषेक आत्मज श्री वीरेन्द्रनाथ गुप्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.12.2002 के द्वारा उक्त भूमि आवेदक को विक्रय कर दी गई जिनका नामांतरण कर नाम खसरा अभिलेख में बतौर भूमिस्वामी दर्ज किया गया तथा भूमिस्वामी अधिकार की ऋण पुस्तिका प्रदान की गई थी किन्तु खसरा अभिलेख के कालम नंबर 12 पर अहस्तांतरणीय शब्द अंकित कर दिया गया। विक्रय पत्र एवं खसरा अभिलेख की छायाप्रति संलग्न है जें संलग्नक पी-2 है।
6. यह कि आवेदक के द्वारा खसरा नंबर 759/2 रकवा 0.64 हे0 भूमि के कालम नंबर 1 में दर्ज "अहस्तांतरणीय" पृविष्टि को विलोपित करने हेतु आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 14/अ-6-अ/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014 से व्यथित होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

9/11/16
 काबिज स्वामी (आवेदक)

2

R3848-116

92-1

17-1-18

आपने एक कालि की
 जिसके पत्रों में उपर्युक्त मन्त्रात्मक
 की जाते हैं वाक्य कालि की मन्त्र
 पत्रों में उपर्युक्त। आपने एक कालि की
 प्रकाश को नीचे से सजाकर कालि
 का सिद्ध मन्त्र कालि वाक्य कालि की
 कालि का पत्र। आपने एक कालि
 की सिद्ध मन्त्र प्रकाश की पत्र में
 कालि का पत्र कालि कालि कालि
 प्रकाश कालि कालि कालि

Natural
 17.1.18
 R.P. Prakash
 AU